न्यायालय नायब तहसीलदार पिंयाड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 148/2025 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल — बनाम — गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी राजबेरा

अमरे खां पुत्र जानू खां
जाति मुसलमान निवासी पिणतरी नाडी।

"निर्णय" — दिनांक:—30.10.2025

पत्रावली आज बमुकाम पिंयाड में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजबेरा ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा पिणतरी नाडी के खसरा नं. 924/663 रकबा 8.9031 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आगोर मे से 0.1618 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अत: गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 06/- पूर्णांक में अक्षरे छ: रूपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और भू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का,निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनाक 30.10.2025 को सरेआम सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पिंयाड

नायब तहसीलदार
पींयाड तह.शिव जिला -बाड़मेर

न्यायालय उप तहसीलदार
पिंयाड

Scanned with OKEN Scanner